न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

पीठासीन अधिकारी– पीयूष समारिया, IAS
प्रकरण संख्या 04 / 2026
जीसीएमएस नं0 2026 / 119

श्री चन्द्रवीर सिंह आत्मज स्व0 मोहन सिंह हाल निवासी पता 240 अम्बेडकर नगर, नवरचना स्कूल के पास कुन्हाडी कोटा

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अति0 जिला कलक्टर कोटा
2. अतिरिक्त कोषाधिकारी, पेंशन, कलेक्ट्रेट कोटा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः– 28.04.2026

अपील का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्री चन्द्रवीर सिंह आत्मज स्व0 मोहन सिंह हाल निवासी पता 240 अम्बेडकर नगर, नवरचना स्कूल के पास कुन्हाडी कोटा ने दिनांक 12.02.2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अति0 कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोटा के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई है–

1. आवेदक प्रार्थी चन्द्रवीर सिंह ने दिनांक 12.01.2026 को एक लिखित आपत्ति पत्र कोषाधिकारी कोटा को जरिये स्पीड पोस्ट द्वारा भिजवाया गया था जो कि आवेदक की माताजी भंवरी बाई पेंशनर के देहान्त तथा पेंशन से संबंधित समस्त रकम के बाबत था जिसकी तामील कोषाधिकारी को दिनांक 13.01.2026 को हो चुकी है । उक्त आपत्ति पत्र दिनांक 12.01.2026 पर कोषाधिकारी महोदय तथा संबंधित अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित रिकार्ड अनुसार सूचना की आवेदक को स्पीड पोस्ट द्वारा भिजवाई जावें ।
2. उक्त आपत्ति पत्र दिनांक 12.01.2026 तथा इस आपत्ति पत्र पर कोषाधिकारी संबंधित अधिकारी द्वारा चलाई गई नोटशीट–ऑर्डरशीट की अटेस्टेड फोटो प्रति रिकार्ड में से आवेदक को उपलब्ध करवाई जावें ।
3. उक्त आपत्ति पत्र के संबंध में जिला कलक्टर कोटा द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति उपलब्ध करवाई जावें ।
4. उक्त आपत्ति पत्र के संबंध में (माता स्व. भंवरी बाई) के खाते में जमा कुल रकम की सूचना न्यायहित तथा पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुये दी जावें ।
5. उक्त आपत्ति पत्र के संबंध में स्व. भंवरीबाई की आपके कार्यालय में संधारित समस्त पत्रावली के प्रमाणित प्रति आवेदक को उपलब्ध करवाई जावें ।

उक्त सूचना प्रत्यर्थी क्रम 2 द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1899 दिनांक 10.3.2026 से सीधे ही अपीलार्थी को सूचना दी गई है जबकि प्रत्यर्थी क्रम 1 के मार्फत भिजवाई जानी थी । भिजवाई गई सूचना भी अपूर्ण व अधूरी बताई गई । जिसकी अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.3.2026 को प्रस्तुत की गई जो दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा एवं अति0 कोषाधिकारी (पेंशन) कोटा से टिप्पणी ली गई । अपीलार्थी के प्रतिनिधि उपस्थित है । लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा ने अपनी टिप्पणी पत्रांक / प्रथम अपील / 2026 / 135 दिनांक 20.04.2026 से निवेदन किया है कि आवेदक चन्द्रवीर सिंह पुत्र स्व0 मोहन सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने हेतु आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है । चूंकि ना तो मूल आवेदन और ना ही

अतिरिक्त कोषाधिकारी पेंशन कोटा से कोई पत्र प्राप्त हुआ है । इसलिए इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में कोई भी कार्यवाही शेष नहीं है ।

- अति0 कोषाधिकारी (पेंशन) कोटा द्वरा अपने पत्रांक/ उपकोष/ पेंशन/ 2025 –26/ 124 दिनांक 20.4.2026 से टिप्पणी भिजवाते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थी श्री चन्द्रवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह हाल निवासी 240 अम्बेडकर नगर, नवरचना स्कूल के पास कुन्हाडी कोटा द्वारा प्रस्तुत आरटीआई दिनांक 13.2.2026 का प्रत्युत्तर इस कार्यालय के पत्रांक 1899 दिनांक 10.3.2026 से अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाया जा चुका है ।
- श्रीमती भंवरी बाई पत्नी स्व. श्री मोहन सिंह के पुत्र श्री उपेन्द्र सिंह द्वारा अपनी माताजी स्व. श्रीमती भंवरी बाई के निधन की सूचना इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई जिसके उपरान्त पारिवारिक पेंशन बन्द कर आधिक्य पेंशन राशि की रिकवरी प्राप्त कर ली गई है ।
- अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.01.2026 को कोषाधिकारी पेंशन कोटा को स्व. श्रीमती भंवरी बाई पत्नी स्व. श्री मोहन सिंह के समस्त पेंशन संबंधित सीपीएफ राशि नियमानुसार दिये जाने बाबत पत्र प्रस्तुत किया जिसके उपरान्त राजस्थान सिविल सेवाऐं (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 145 के अन्तर्गत मृतक पारिवारिक पेंशनर की बकाया जीवनकालीन पेंशन एरियर राशि का भुगतान उनके उत्तराधिकारी को दिए जाने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 10.3.2026 को वांछित दस्तावेज हेतु कोषाधिकारी पेंशन के समक्ष उपस्थित होने हेतु पत्र जारी कर दिया गया है ।
- पेंशनर स्व. श्रीमती भंवरी बाहई पत्नी स्व. श्री मोहन सिंह के मृत्यु दिनांक 18.12. 2025 को होने के पश्चात इस कार्यालय स्तर से किसी भी प्रकार के एरियर राशि का भुगतान नहीं किया गया है ।
- अपीलार्थी द्वारा पूर्व में लगाए गये आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करवा दी गई है और पेंशनर के बैंक खाते में जमा राशि के संदर्भ में इस कार्यालय स्तर से चाही गई थी जो कि बैंक के स्तर से दिया जाना संभव है ।

हमने प्रार्थी अपीलांट की अपील का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा को प्रस्तुत नहीं कर अति0 कोषाधिकारी (पेंशन) कोटा को प्रस्तुत किया गया है जिसका जवाब बिन्दुवाईज अति0 कोषाधिकारी (पेंशन) कोटा द्वारा अपने पत्रांक/1899 दिनांक 10.3.2026 से अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जा चुकी है । अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकितानुसार भंवरी बाई पेंशनर की पेंशन पत्रावली की प्रति चाही गई है, जबकि आवेदन पत्र दिनांक 12.02.2026 में उनके आपत्ति पत्र 12.01.2026 से सम्बन्धी पत्रावली की प्रति चाही जाने से अति0 कोषाधिकारी द्वारा कोई पत्रावली संधारित नहीं करने से नहीं दी गई है । इस सम्बन्ध में हमारा मत है कि यदि पेंशनर भंवरी बाई की पेंशन सम्बन्धी पत्रावली संधारित है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दी जा सकती है तो नियमानुसार प्रार्थी अपीलार्थी को दी जावें । अपील अपीलांट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा